

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 524 / 2012
संस्थान दिनांक 31.10.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

जावेद पिता अजीज खान, आयु 24 वर्ष
निवासी-सोगोर घाटी, मोहल्ला
जिला धार म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30/01/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 295/2012 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में दिनांक 31.10.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.10.2012 को समय 16:50 बजे, ग्राम मोहीपुरा, नर्मदा नदी किनारे शासकीय स्थान से लगभग 22 टन बालू रेत को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 में बिना विधिमन्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन होने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 379 भा.दं.सं. एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.10.2012 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक श्री पी.एस. कन्नौजे ने पंचसाक्षी शरद एवं संजय को अवगत कराकर मय फोर्स के दबिश देकर मोहीपुरा में वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 में कुछ लोगों को नर्मदा नदी शासकीय भूमि मोहीपुरा से बालू रेत भरते हुए पकड़ा। अभियुक्त जावेद से रेत की रायल्टी के संबंध में पूछे जाने पर अभियुक्त ने रायल्टी नहीं होना बताया जिसके आधार पर पुलिस थाना अंजड़ में अभियुक्त जावेद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/2012 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौध खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पी.एस. कन्नौजे ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त जावेद से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 को जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 4 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी संजयसिंह एवं शरदसिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 379 भादस एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.10.2012 को समय 16:50 बजे, ग्राम मोहीपुरा, नर्मदा नदी किनारे शासकीय स्थान से लगभग 22 टन बालू रेत को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में रेवाराम (अ.सा.1), निरीक्षक पी.एस. कन्नौजे (अ.सा.2), संजयसिंह (अ.सा.3) एवं शरदसिंह (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में पी.एस. कन्नौजे (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 23.10.012 को वह थाना अंजड़ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को देहात भ्रमण के दौरान ग्राम मोहीपुरा में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम मोहीपुरा में नर्मदा नदी में शासकीय भूमि से बालु रेत अवैध रूप से निकालकर ट्रक में भरकर ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर उसने साक्षी शरदसिंह एवं संजय को तलब कर सूचना से अवगत कराया तथा पंचों को साथ लेकर नर्मदा नदी गया, वहाँ पर कुछ व्यक्ति ट्रक में बालु रेत भर रहे थे, जिनकी घेराबंदी करने पर ट्रक में रेत भरने वाले व्यक्ति भाग गये। मौके पर बालु रेत से भरा हुआ ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 जिसमें चालक मिला तथा नाम पूछने पर उसने जावेद पिता अजीज, निवासी ग्राम सागोरघाटी का होना बताया था। अभियुक्त से रेत भरने एवं ले जाने के दस्तावेज मांगे तब उसने कोई भी दस्तावेज अपने पास होने से इंकार किया। उसने घटनास्थल पर ही ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 तथा उसमें भरी हुई बालु रेत लगभग 22 टन प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था और घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा

प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने साक्षी संजय एवं शरद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये और थाने पर आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/12 प्रदर्शपी 7 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने तहसीलदार अंजड़ से ग्राम मोहीपुरा में उस स्थान के संबंध में जहाँ से रेत ट्रक में भरी गई थी उसका ट्रेस नक्शा और खसरा नम्बर मांगा था तथा तहसीलदार अंजड़ को पत्र क्रमांक क्यू/12 दिनांक 28.10.2012 का दिया था, जो प्रदर्शपी 6 है तथा घटनास्थल का ट्रेस नक्शा संबंधित हल्का पटवारी से बनवाकर दिये जाने का निवेदन किया था। उसने अभियोग पत्र के साथ प्रदर्शपी 1 का ट्रेस नक्शा और प्रदर्शपी 2 का खसरा प्रस्तुत किया था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह ग्राम चकरी की ओर भ्रमण पर जा रहा था, वहाँ उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन उसे ध्यान नहीं है कि उसे किस स्थान पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। वह मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर 20-25 मिनट में मौके पर पहुँच गया था। उसने देहात भ्रमण पर जाने का इंद्राज रोजनामचे में किया था। उसे ध्यान नहीं है कि उसके साथ कौन-कौन व्यक्ति या आरक्षक देहात भ्रमण पर गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि मौके पर बहुत सारे व्यक्ति थे। वह पुलिस बल को देखकर भाग गये। उनके द्वारा भागते हुए व्यक्ति का पीछा नहीं किया गया, जिस समय वे वहाँ पर पहुँचे वहाँ ट्रक की चालक सीट पर कोई बैठा हुआ नहीं था। ट्रक के पास एक व्यक्ति था। साक्षी ने स्वीकार किया कि नक्शा मौका पंचनामें में घटनास्थल के पास जो वस्तु थी उसका उल्लेख किया गया है। मौके पर ट्रेक्टर एवं जे.सी.बी. नहीं थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 3 लगायत 5 उसकी लिखावट में नहीं थे। उसने वाहन के स्वामी के संबंध में चालक के कथन लिये थे, जो उसने पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन स्वामी से कोई पूछताछ नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त को रेत खनन करते हुए नहीं पकड़ा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रेत के संबंध में कोई जाँच नहीं की है और जिस समय वह मौके पर गया, वहाँ रेत के ढेर मौजूद नहीं थे, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि नर्मदा नदी से रेत निकालकर भर रहे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने गाँव वालों से रेत की चोरी करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ट्रक में रेत नहीं भर रहा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त खड़े होकर ट्रक में रेत भरवा रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

9. संजय अ.सा. 3 और शरद अ.सा. 4 उक्त घटना के समय ट्रक तथा रेत जप्ती करने के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने और उनके समक्ष पुलिस द्वारा अभियुक्त से रेत एवं ट्रक जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने प्रदर्शपी 3 एवं प्रदर्शपी 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 23.10.12 को थाना अंजड़ के प्रभारी पी.एस. कन्नोजे ने उन्हें बुलाया था और नर्मदा नदी ले गये थे। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वहाँ पर ट्रक में बालु रेत भर रहे व्यक्तियों की घेराबंदी की थी, किन्तु वह भाग गये। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मौके पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 जिसमें बालु रेत भरी हुई थी ट्रक चालक अभियुक्त था और अभियुक्त के पास बालु रेत भरने की रायल्टी नहीं थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने घटनास्थल से उक्त ट्रक बालु रेत के उनके समक्ष जप्त किया था यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 7 एवं 8 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह पुलिस के साथ कभी ग्राम मोहीपुरा नहीं गये थे तथा उन्होंने प्रदर्शपी 3 एवं 4 के पंचनामों पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे, जिस समय उन्होंने हस्ताक्षर किये थे उस समय वे अकेले ही थे।

10. पटवारी रेवाराम अ.सा.1 का कथन है कि वर्ष 2012-13 तहसील कार्यालय अंजड़ के तहसीलदार द्वारा उससे ग्राम मोहीपुरा की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 325/1 के संबंध में ट्रेस नक्शा चाहा गया था, तो उसने प्रदर्शपी 1 का ट्रेस नक्शा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 325/1 का दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त ट्रेस नक्शे में बी से बी भाग पर लाल स्याही से स्थान चिन्हित किये थे, जहाँ से रेत संग्रहित की गई थी तथा उक्त भूमि का खसरा वर्ष 2012-13 का प्रदर्शपी 2 है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त सर्वे नम्बर शासकीय रेकार्ड में चारागाह के नाम से है और नर्मदा नदी से लगा हुआ है। उक्त चारागाह में रेत नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त सर्वे नम्बर पर रेत किसने इकट्ठा की थी, कब से इकट्ठा की थी, इस संबंध में उसने कोई पंचनामा नहीं बनाया था और कितनी रेत मौके पर थी, इसका भी उसने पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 का ट्रेस नक्शा तहसीलदार को बनाकर दिया था, पुलिस थाना अंजड़ पर नहीं दिया था।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 तथा म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिहवन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी उक्त संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है तथा म.प्र. खनिज नियम, 2006 की धारा 1(ख) के अनुसार केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही खनिजों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त है।

इसी प्रकार म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 की धारा 2(8) के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत जप्ती, तलाशी एवं गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है और इस संबंध में कार्यवाही केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से खनिज का उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी को कोई भी कार्यवाही करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति या आवेदन लेना आवश्यक है जो कि नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दूषित हो जाता है और यहाँ तक कि न्यायालय को पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर प्रकरण का संज्ञान लेने का भी अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भादस की धारा 379 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है।

12. यह सही है कि पुलिस अधिकारी को म.प्र. गौण खनिज नियम एवं नियम, 1996 एवं म.प्र. खनिज नियम, 2006 के अंतर्गत कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा उक्त नियमों में परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा में पुलिस को सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन अभियुक्त द्वारा घटना, दिनांक स्थान व समय पर शासकीय स्थान नर्मदा नदी के पास ग्राम मोहीपुरा से अवैध रूप से बालु रेत का उत्खनन करवाया जा रहा था, जिसके संबंध में अभियुक्त के पास कोई परिवहन अनुज्ञा पत्र, या रायल्टी या अन्य कोई दस्तावेज नहीं थे। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कार्य भा.द.स. की धारा 379 में परिभाषित चोरी के अपराध में आता है, जहाँ तक जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी होने का प्रश्न है विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी मात्र से प्रकरण में कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लिया जाये।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह विरुद्ध स्टेट, 2003 (5) एस.सी.सी. 298 तथा नाथुसिंह विरुद्ध म.प्र.राज्य, 1973, सु.को. 2783 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिक तरीके से तिरस्कृत नहीं करना चाहिए कि अन्य अभियोजन साक्षियों ने मामले का समर्थन नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को भी स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना किसी आधार के अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 179 भी अवलोकन योग्य है। ऐसी स्थिति में जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने मात्र से अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दूषित नहीं हो जाता, जब तक कि बचाव पक्ष की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं की गई हो, जिससे कि यह प्रमाणित हो कि पुलिस अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

14. निरीक्षक पी.एस.कन्नौजे अ.सा.2 ने अभियुक्त को ट्राला क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 तथा खड़े होकर उसमें बालु रेत भरवाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका प्रतिपरीक्षण के दौरान भी कोई खण्डन नहीं हुआ है। ग्राम मोहीपुरा के जिस स्थान से उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा ट्रक में बालु रेत भरवाना बताया है, उक्त स्थान शासकीय भूमि थी, इस संबंध में रेवाराम अ.सा.1 ने स्पष्ट कथन किया है तथा प्रदर्शपी 1 का ट्रेस नक्शा एवं पी.एस. कन्नौजे द्वारा बनाया गया नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 से भी उक्त स्थान शासकीय भूमि होना प्रमाणित होता है। अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उसका यह बचाव प्रमाणित हो कि उसे रेत ट्रक में भरवाते समय पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नर्मदा नदी से रेत निकालकर भर रहे थे, ऐसी स्थिति में रेवाराम अ.सा.1 की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं होती है कि चारागाह में कोई रेत नहीं थी, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि सर्वे नम्बर 325/1 नर्मदा नदी से लगा हुआ है।

15. ऐसी स्थिति में अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त को घटना दिनांक, स्थान व समय पर ग्राम बड़दा में नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से बालु रेत का उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था, जिससे उत्खनन करने का अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज नहीं था और चूँकि उक्त भूमि शासकीय थी, जहाँ से अभियुक्त द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा था, वह शासकीय थी, ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा शासकीय सम्पत्ति बालु रेत की चोरी राज्य शासन की अनुमति के बिना चोरी करने के लिए भा.द.स. की धारा 379 का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को उक्त धारा में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

16. जहाँ तक अभियुक्त के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिहवन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 के अपराध का प्रश्न है। चूँकि पी.एस. कन्नौजे अ.सा. 2 इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं है और उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही करने के लिए आवेदन या अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार न्यायालय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 379 में दोषसिद्ध किया गया है। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:

18. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। उसने विचारण का शीघ्रता से सामना भी किया है।

19. यह सही है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियोजन ने प्रमाणित नहीं की है और अभियुक्त द्वारा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है, जिससे प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से हुआ है, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से शासकीय भूमि से रेत की चोरी की है, उसे देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त जावेद पिता अजीज खान, आयु 24 वर्ष, निवासी— ग्राम सागोरघाटी मोहल्ला, जिला धार को भा.द.स. की धारा 379 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

21. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त जावेदक को निःशुल्क अविलंब दी जाये।

22. प्रकरण में जप्त बालु रेत 22 टन अपील अवधि पश्चात् राजसात की जाती है। अपील अवधि पश्चात् उक्त रेत नीलाम कर राशि कोषालय में जमा कराने हेतु थाना प्रभारी अंजड़ को पत्र जारी किया जाये। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्राला क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 7251 दिनांक 31.10.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी फैय्याज खान पिता अकरम खान, निवासी-113, धनवंतरी नगर, मनी व्यूह अपार्टमेंट, इन्दौर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त पप्पु, सुभाष एवं लक्ष्मण के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव उक्त अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 452 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी एवं एक धावड़े का धान कुटने का मुसला मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम बरुफाटक, तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	20.05.2012
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 524/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध जावेद) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- जावेद पिता अजीज खान, आयु 24 वर्ष
निवासी-सोगोर घाटी, मोहल्ला
जिला धार म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 23.10.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0